छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

एलआईसी परिसर,पंडरी,रायपुर 492004(छ.ग.)दूरभाष:2583789,फैक्स: 0771–2583794

Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्र. 07/सीएसआईडीसी/एसाईड/तक.–V/2009–10 रायपुर, दिनांक 14/11/2009

मुहरबंद निविदायें फार्म–''ए'' (प्रतिशत दर) पर प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., रायपुर द्वारा दिनांक 01/04/2009 से सड़क कार्य हेतु एवं दिनांक 01/06/2009 से भवन निर्माण कार्य हेतु जारी तथा निविदा जारी करने की दिनांक तक संशोधित अनुसूची दर (एस.ओ.आर.) पर निम्नलिखित कार्य हेतु छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,रेल्वे एवं इस निगम में वांछित श्रेणी तथा इससे ऊपर श्रेणी में पजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 05/12/2009 को अपरान्ह 3.00 बजे तक सीएसआईडीसी कार्यालय पंडरी, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेंगी:–

सरल क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रू. लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी
1	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, सेक्टर–सी, बिलासपुर में एसाईड योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–200 से एस.ई.सी.आर. रेलवे लाईन तक पूर्व निर्मित सडक के स्थान पर डबल लेन सीमेंट कांक्रीट रोड (7.00 मीटर केरीजवे प्रत्येक) मय आर.सी.सी. मार्ग विभाजक तथा पूर्व निर्मित आर.आर. मेसनरी पक्की सतही नाली के उन्नयन कार्य सहित निर्माण कार्य।	437.82	2,19,000/·	3000/–	09 माह (वर्षा ऋतु छोडकर)	अ–5

शर्तें :–

(1) कोरे निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता केवल उन्हीं ठेकेदारों को होगी जिन्होंने कुल कार्य का कम से कम 50% लागत का समान कार्य (कांक्रीट पेवमेंट का कार्य) एक ही अनुबंध के तहत्, विगत तीन वर्षों में सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो। इसके लिए उन्हें कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी से जारी कार्यादेश की प्रति एवं कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा साथ ही वैध अद्यतन वाणिज्यिक कर चुकता प्रमाण–पत्र, जीवित पंजीयन, जीवित साल्वेन्सी एवं टर्न ओव्हर की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के प्र.कार्यपालन अभियंता, तक–5 के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद भुगतान कर दिनांक 04/12/2009 तक अपरान्ह 2.00 बजे के पूर्व सीएसआईडीसी मुख्यालय, पंडरी, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(3) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर में पंजीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त अन्य विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को न्यूनतम निविदाकार होने की स्थिति में अनुबंध निष्पादन के पूर्व इस निगम में नियमानुसार वांछित श्रेणी में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

(4) उल्लेखित कार्य हेतु कार्य पूर्ण करने की अवधि से तीन वर्ष (36 माह) तक संपादित कार्य का संधारण तथा मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाना है, जिसके लिये कार्य की संपूर्ण लागत की 5% राशि Performance Gurantee के रूप में रोकी जावेगी तथा वह राशि तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक आवश्यक संधारण तथा मरम्मत कार्य पूर्ण किये जाने पर ही विमुक्त की जावेगी।

(5) कार्य में उपयोग किये जाने वाले गौण खनिजों का रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अंतिम देयक का भुगतान किया जायेगा।

(6) अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद जो कि प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) कार्य निर्धारित/एम.ओ.एस.टी. स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों के अनुसार ही संपादित करना होगा।

(8) निविदाकार/फर्म के पास अच्छी हालत में कार्यशील स्वयं के स्वामित्व का निम्नलिखित मशीनरी/प्लांट होना चाहिये। मशीनरी/प्लांट के लीज/किराया पर लिये जाने की स्थिति में संबंधित अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–
(i) 30 घ.मी. प्रति घंटा की कंप्यूटराईज मिक्सिंग मशीन – 1 नग, (ii)ट्रांजिट मिक्चर 4/6 घ.मी. क्षमता – 2 नग (iii) फिक्सड फार्म या स्लिप फार्म पेवर – 1 नग (iv) सरफेस वायब्रेटर – 4 नग, (v)कांक्रीट ज्वाइंट कटिंग मशीन– 1 नग, (vi) वायब्रेटरी रोलर – 1 नग, (vii) जे.सी.बी./पोकलेन/एक्सेकेवेटर – 2 नग, (viii) डम्पर/टिप्पर – 4 नग, (ix) वाटर टैंकर – 2 नग।

(9) निविदाकार/फर्म के पास निम्न लिखित तकनीकी अमला नियुक्त किये गये हो :–
(i) सिविल इंजीनियर डिग्री – 1, (ii) सिविल इंजीनियर डिप्लोमो – 1, (iii) सुपरवाईजर – 3

(10) निविदाकार/फर्म के पास उक्त कार्य हेतु आवश्यक, पदार्थ/कार्य परीक्षण हेतु समुचित उपकरण होना आवश्यक है।

(11) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996, की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction work) पर 1% उपकर (सेस) देय होगा, देयकों के भुगतान में से उक्त राशि काटी जायेगी।

(12) निविदा कार्यों के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी (यदि कोई आवश्यक हो तो) प्र.कार्यपालन अभियंता, तकनीकी कक्ष–5, सीएसआईडीसी, पंडरी, रायपुर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(13) कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

प्र. कार्यपालन अभियंता (तक–V)